संख्या- 1066/छ:ना0सु0-15-45सी0डी0/05

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/नियंत्रक,
समस्त नागरिक सुरक्षा जनपद,
उत्तर प्रदेश।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2016**

विषय:- नागरिक सुरक्षा कोर के पदाधिकारियों के नवीनीकरण की प्रक्रिया वस्तुपरक बनाये जाने एवं सेवा विस्तार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया वस्तुपरक बनाये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1432/अनु0-1/89/2014 दिनांक:18-09-2015 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुरूप नवीनीकरण का निर्णय नियमानुसार ससमय करने का भी कष्ट करें।

2- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वार्डेन सेवा के चिन्हित पदों यथा-(क) चीफ वार्डेन (ख) डिप्टी चीफ वार्डेन (ग) डिवीजनल वार्डेन (घ) डिप्टी डिवीजनल वार्डेन (च) घटना नियंत्रण अधिकारी (छ) स्टाफ अधिकारी पर लगातार नियुक्ति दो टर्म अर्थात 06 वर्ष से अधिक के लिये नहीं किया जाय, ताकि नयी सोच, जोश व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विचारधारा वाले नवयुवकों को संगठन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सके, जिससे संगठन को नये आयाम प्राप्त हो सके। इन पदों पर कार्यरत स्वयंसेवकों को इन पदों से हटने के बाद सामान्य स्वयंसेवक बने रहने दिया जाय और 03 वर्ष के अन्तराल के बाद पुन: ऐसे पदों पर नियुक्ति के पात्र रखा जाये ताकि उनकी रूचि कोर में बनी रहें।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1921/अनु-1/89/2014 दिनांक 09-12-2015 के सन्दर्भ में।
2- उपनियंत्रक, सम्बन्धित नागरिक सुरक्षा नगर।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(केशव प्रसाद)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।